रजि० सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 1975/श्रावण 14, 1897
No. 298] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 1975/SRAVANA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th August 1975

S.O. 422(E).—Whereas M/s. Engel India Machines and Tools Limited, Calcutta, owning the industrial undertaking known as M/s. Engel India Machines and Tools Limited, in the State of West Bengal (hereinafter in this Order referred to as the said industrial undertaking), is being wound up by the Calcutta High Court and the business of the Company is not being continued;

And whereas the Central Government, after obtaining permission from that High Court under sub-section (2) of Section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter in this Order referred to as the said Act), had caused an investigation to be made by a body of persons into the possibility of running or re-starting the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government being of the opinion that there are possibilities of running or re-starting the said industrial undertakings made an application under sub-section (1) of Section 18FA of the said Act to the Calcutta High Court praying for permission to appoint any person or body of persons to take over the management of the said industrial undertaking and that the said High Court has, by its Order dated the 27th May, 1974, granted the said permission:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18FA of the said Act, and of all other powers hereunto enabling the Central Government hereby authorises a body of persons consisting of

Chairman

1. Shri C. R. Guha Majumdar, I.A.S., Secretary to the Government of West Bengal, Closed and Sick Industries Department, Writers' Buildings, Calcutta-1.

Members

2. Shri T. R. Gupta, 1, Ballygunge Park Road, Calcutta-19.

3. Shri S. K. Chatterjee, 134, Motilal Nehru Road, Calcutta-29.

(hereinafter referred to as the authorised body) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking namely, Messrs Engel India Machines and Tools Limited subject to the following terms and conditions, namely :—

1. The authorised body shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

2. The authorised body shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this Order;

3. The Central Government may terminate the appointment of the authorised body earlier if it considers necessary to do so.

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 2/1/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1975

का० आ० 422(अ).—पश्चिमी बंगाल राज्य में, मैसर्स एंजिल इण्डिया मशीनूस एण्ड टूल्स लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के स्वामी मेसर्स एंजिल इण्डिया मशीनूस एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता का कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमापन किया जा रहा है और कम्पनी का कारबार चालू नहीं रखा जा रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15क की उप धारा (2) के अधीन उस उच्च न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करने की सम्भावना के बारे में व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा अन्वेषण कराया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करने की सम्भावनाएं हैं, उक्त अधिनियम की धारा 18 च क की उप-धारा (1) के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक आवेदन किया था, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के निकाय को नियुक्त करने की अनुज्ञा

प्रदान की जाए । उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने तारीख 27 मई, 1974 के आदेश द्वारा उक्त अनज्ञा प्रदान कर दी है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, व्यक्तियों के एक निकाय को, जिसमें निम्नलिखित होंगे (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत निकाय कहा गया है), उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम, अर्थात् मैसर्स एंजिल इण्डिया मशीन्स एण्ड टूल्स लिमिटेड का निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

अध्यक्ष

1. श्री सी० आर० गुहा मजूमदार, भा० प्र० से०.
सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार,
बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग,
लेखक भवन, कलकत्ता—1

सदस्य

2. श्री टी० आर० गुप्ता,
1 बेलोगंज पार्क रोड,
कलकत्ता—19

3. श्री एस० के० चटर्जी,
134 मोती लाल नेहरू मार्ग,
कलकत्ता—29

निबन्धन और शर्तें :—

1. प्राधिकृत निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ;

2. प्राधिकृत निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक पदधारण करेगा ;

3. केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत निकाय के नियुक्ति काल को इससे पूर्व भी समाप्त कर सकेगी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे ;

यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[सं० 2/1 73-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975